

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/

भोपाल,दिनांक /09/2018

प्रति,

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा,  
सतपुड़ा भवन भोपाल,म0प्र0।

विषय :-बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण न करने के कारण संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के संबंध में।

- संदर्भ :-1. आपका पत्र 2325/4/प्रवेश/कोर्टकेस/2018 दिनांक 28.8.2018।  
2. संचालनालय का आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/17/45100 दिनांक 24.11.2017।  
3. उप महाधिवक्ता, मा0उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र दिनांक 25.8.2018।

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा 04 पी0जी0 बंधपत्र चिकित्सकों के द्वारा अनिवार्य बंधपत्र सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।

कृपया अवगत होवें कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संदर्भित आदेश क्रमांक 02 के द्वारा निम्नलिखित 04 चिकित्सकों की पदस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं एवं उक्त चिकित्सकों द्वारा विरुद्ध पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अनिवार्य बंधपत्र सेवा का पदस्थापना आदेश जनसामान्य हेतु पूर्व से विभागीय वेबसाईट [www.health.mp.gov.in](http://www.health.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 03 में उल्लेखित याचिका एवं उप महाधिवक्ता द्वारा किए गए लेख अनुसार संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाना है। चूंकि बंधपत्र चिकित्सकों से बंधपत्र का निष्पादन आपके स्तर से ही किया गया है, अतः बंधपत्र निष्फल होने से बंधपत्र समप्रहत(bond forfeiture) संबंधी आगामी आवश्यक कार्यवाही कर उप महाधिवक्ता, जबलपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
म0प्र0

भोपाल, दिनांक 22/09/2018

पृ0क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/1574  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,म0प्र0।
2. उप महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर,म0प्र0।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
5. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

  
22/9/18

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
म0प्र0